HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13991/2024

Shreyansh Gupta S/o Shri Deepak Gupta, R/o 2-A-8, Jawahar Nagar, Jaipur. (At Present Confined In Central Jail Jaipur, District Jaipur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Srijana Shresth, Adv. Mr. Rajeev Kumar Sogarwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, P.P. Mr. Anshul Sharma, for complainant

---

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

22/04/2025

1. प्रार्थी/अभियुक्त **श्रेयांश गुप्ता पुत्र दीपक गुप्ता** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483** के अन्तर्गत पुलिस थाना–माणक चौक, जयपुर शहर (उत्तर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**198/2024,** अपराध अन्तर्गत धारा 420, 409, 467, 468, 471 एवं 120–बी भा.द.सं. (318(4), 316(5), 338, 336(3), 340(2) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023) में पेश किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं, वे समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 05.09.2024 को गिरफ्तार किया गया है, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020950872024/truecopy/order-7.pdf

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गबन की गई राशि में से ग्यारह लाख रूपये की राशि परिवादी को वापस कर दी गई है तथा वह अन्य राशि भी परिवादी को अदा कर देगा। प्रार्थी/अभियुक्त 24 वर्षीय नवयुवक है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादी फर्म द्वारा अभियुक्त को उसके खाते की देखभाल करने के लिए रखा गया था, किन्तु अभियुक्त ने धोखाधड़ी कर 40 लाख रूपये से अधिक की राशि का गबन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाये गये आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **श्रेयांश गुप्ता पुत्र दीपक गुप्ता** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–198/2024, पुलिस थाना–माणक चौक, जयपुर शहर (उत्तर)** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **दो लाख रूपये का मुचलका तथा एक–एक लाख रूपये की दो तस्दीकशुदा जमानतें** प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020950872024/truecopy/order-7.pdf

जमानत पर रिहा कर दिया जाए। प्रार्थी–अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal/7

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020950872024/truecopy/order-7.pdf